(ग) किए गए अध्ययन के आधार पर कुल कितनी मिलें रुग्ण पायी गईं ; और

(घ) संगठन द्वारा देश में स्थापित सभी कपड़ा मिलों का कब तक अध्ययन कर लिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अगस्त, 1991 तक नोडीय अभिकरण ने 177 मामलों पर विचार किया । इनमें से 51 मामले अर्थ-क्षम रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, 51 मामले गैर-अर्थक्षम घोषित किए गए हैं तथा ऐसी मिलों की संख्या 75 है (जिनमें सहकारी क्षेत्र की 34 मिलें शामिल हैं) जिनके मामलों को अभी वर्गीकृत किया जाना है तथा अर्थक्षमता स्थापित की जानी है ।

(घ) इसके अलावा बी० आई० एफ० आर० द्वारा जांच किए जा रहे रुग्ण एककों को ध्यान में रखते हुए यह बता पाना कठिन है कि इस संगठन द्वारा देश में स्थापित सभी वस्त्र मिलों का अध्ययन कब तक पूरा कर लिया जाएगा ।

Items covered under Handloom Reservation Acts

2604. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some 22 items are reserved for handloom sector; and

(b) if so, what are the names thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) List of items is attached as Statement.

Statement

1. Saree
2. Kotah Doria Saree
3. Tie & Dye saree and material
4. Dhoti
5. Gamcha and Angavastram
6. Lungi
7. Shirting
8. Crepe Fabrics
9. Towels
10. Khes, Bedsheet, Bed cover, Counter pane and furnishing
11. Table cloth, Table mat and Napkins
12. Duster Basta
13. Chaddar
14. Mashru Cloth
15. Low rid pick cloth
16. Jamakkalam durry or durrat
17. Bukkram cloth
18. Silk
19. Kambal or Kambalies
20. Barrack blankets
21. Shawl, loi, Mufflers, Pankhi etc.
22. Woollen tweed.

Demand for change in cut-off point formula

2605. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a silk exporters have demanded a change in the cut-off point formula for calculating rate of Cash Compensatory Scheme and Cash Insurance Freight; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) The Indian Silk Export Promotion Council has not made any such proposal.

(b) Does not arise.

Amendment to the Garment Export Quota Policy

2606. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has agreed to amend the present Garment's export quota policy; and

(b) if so, what are details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GHELOT): (a) and (b) The Government had received suggestions from Apparel Export Promotion Council and different sectors of the garment export trade for certain modifications in the provsions of the Garment Export

Entitlement Distribution Policy for 1991—93. After examining various suggestions, Government have made the following changes in the policy for the year 1992 and 1993:

(A) For 1992 and 1993, only quantities that become available from time to time on account of flexibilities and surrenders shall be allocated under the F.C.F.S. System.

(B) (i) The percentage of allocation under the Manufacturer-Exporter Entitlement (MEE) System has been raised from the present 18% to 20%.

(ii) The present limit of 125% on past performance allotments (PPE) and MEE allotments taken together in respect of MEE allotments has been removed.

(iii) The maximum number of country/category combination an exporter may opt under MEE System has been reduced from 15 to 10.

(C) Reservation of 75% Quota under Non-Quota Exporter Entitlement (NQE) system for thrust countries has been abolished. Base period under this system has been made at pqr with PPE System. The allocation in this system has been raised from the present 10% to 18% including 2% reservation exclusively for handloom garments.

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

2607. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की वस्त्र नीति बन्द कपडा मिलों को पुन: खोलने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी मिलें बन्द हैं एवं कितने मजदूर इससे प्रभावित हुए हैं ;

(ग) सरकार ने गुजरात की बंद कपडा मिलों को पुन: चालू करने की दिशा में अब तक क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) भविष्य में गुजरात में मिलें बन्द न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । (नीचे रखिये)

(ग) और (घ) सरकार द्वारा इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं : रूग्ण मिल की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए नोडिए अभिकरण की स्थापना, आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना, पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की स्थापना ।

विवरण

बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या तथा उनमें प्रभावित कामगारों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बंद पडी मिलों की संख्या	कामगार
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	2430
2.	बिहार	1	500
3.	गुजरात	31	55008
4.	हरियाणा	2	5292
5.	कर्नाटक	9	6907
6.	केरल	1	337
7.	मध्य प्रदेश	2	2636
8.	महराष्ट्र	11	21837
9.	राजस्थान	4	4841
10.	तमिलनाडू	21	17603
11.	उत्तर प्रदेश	8	17585
12.	पश्चिम बंगाल	9	17385
13.	दिल्ली	1	5161
		107	157522